

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

बईजलास - अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 143 /2013

तारीख दायर 18.09.

उनवान

1. चुन्नी लाल पिता हजारी जाति बलाई उम्र 60 साल पेशा काशत निवासी ब तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

बनाम

1. गोपाल पिता रूपा जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
2. प्रेम पिता रूपा जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
3. बाली पुत्री रूपा बलाई पेशा काशत उम्र बालिग निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
4. सरजु पत्नी रूपा बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
5. नाथु पिता धान्या बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
6. श्याम लाल धान्या बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
7. ऐजन पुत्री धान्या बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
8. लाली पुत्री धान्या बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
9. मोहनी पुत्री धान्या बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
10. मांगी पुत्री धान्या बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
11. भंवर लाल पिता गोकल बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
12. बालु पिता गोकल बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
13. सोसर पुत्री गोकल बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
14. जानी पुत्री गोकल बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
15. मोडी पुत्री हजारी बलाई उम्र बालिग पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
17. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे माण्डलगढ।
18. सीता देबी पत्नी गोपाल बलाई उम्र वयस्क पेशा काशत निवासी बरुन्दनी तहसील माण्डलगढ।

—प्रतिव

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान

काशतकारी अधिनियम

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू वकील वादी कैलाश चन्द्र त
मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काशतकारी अधिनियम हदक वादी किन्तु प्रतिवकील वादी किन्तु

आ0न0 2633 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा की कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 1112 की आराजी न0 4472/455 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य को इस बाबत् प्रेरित करें। खर्चा पक्षकरान स्वयं अपना अपना वहन करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-	-	स्टाम्प वकीलात नामा	-	-
स्टाम्प वकालत नामा	-	-	स्टाम्प अरजी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील ()	-	-	महनताना वकील ()	-	-
खर्चा गवाह	-	-	खर्चा गवाह	-	-
फीस कमीशनर	-	-	फीस कमीशनर	-	-
बाबत इजराय हुक्म नामा	-	-	बाबत इजराय हुक्म नामा	-	-
मुनफरिक	-	-	मुनफरिक	-	-
योग	-	-	योग	-	-

चीज - NIL - मुबलिग - NIL - बाबत - NIL - खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह - NIL - फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक - NIL को अदा करें।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को न्याय आपके द्वार केम्प बरुन्दनी लिखवाया जाकर सुनाया गया।

—→ 10/05
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगाद जिल्हा-भीलवाडा
माण्डलगाद